

इसे वेबसाइट www.govtprint.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 22]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 31 मई 2024—ज्येष्ठ 10, शक 1946

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, देवास विकास प्राधिकरण, देवास, मध्यप्रदेश

देवास, दिनांक 22 मई 2024

“प्रारूप—उन्नीस”

[नियम 19 (13) देखिए]

(धारा 50 की उपधारा 11 के अधीन नगर विकास स्कीम की घोषणा हेतु सूचना)

क्र-277.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23, सन् 1973) की धारा 50 की उपधारा (10) के अधीन सर्वसाधारण की जानकारी के लिये एतद्वारा यह घोषित तथा प्रकाशित किया जाता है कि देवास विकास प्राधिकरण, देवास द्वारा तैयार की गई नगर विकास स्कीम क्रमांक टी.डी.एस.-08 / 2023 अर्थात् तहसील देवास नगर के अन्तर्गत उज्जैन रोड (मिनी सुपर कारिडोर) के आगे ग्राम नागूखेड़ी एवं नौसराबाद होते हुए बायपास रोड तक की भूमि पर योजना को संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है।

उक्त स्कीम के अभिविन्यास, मूल भूखण्ड तथा अन्तिम भूखण्ड को दर्शाते हुए तथा प्रारूप—उन्नीस(क) प्रारूप—उन्नीस(ख) तथा प्रारूप—उन्नीस(ग) में विनिर्दिष्ट विस्तृत विवरण निम्न दर्शाये गये कार्यालयों में नब्बे दिवस की अवधि हेतु निरीक्षण के लिये उपलब्ध हैं :—

1. देवास विकास प्राधिकरण, देवास, चामुण्डा कॉम्प्लेक्स, ए. बी. रोड, देवास (म.प्र.).
2. कलेक्टर, जिला देवास
3. उपसंचालक, नगर तथा ग्राम निवेश विभाग, देवास, जिला देवास
4. नगर पालिक निगम, देवास
5. प्राधिकरण की वेबसाइट अर्थात् <https://ddadewas.org>

उपरोक्त स्कीम मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से प्रभावशील होगी।

(G-1065)

अभिषेक शर्मा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी।

नाम परिवर्तन

मैं, आशिष पंडित पिता देवराम पंडित, निवासी 5, रणजीत मार्ग, धर्म बंगले के पीछे, वार्ड नं. 21, बड़वानी (म.प्र.). वर्तमान में मेरे पुत्र का नाम उसके जन्म प्रमाण—पत्र में त्रुटिवश “अंशु” अंकित हो गया है, जबकि उसका सही, वास्तविक एवं प्रचलित नाम “आरुष पंडित” है। अतः उक्त कारण से मैं मेरे पुत्र के पूर्व नाम “अंशु” के स्थान पर प्रचलित नाम “आरुष पंडित” अंकित कर उक्त नाम से ही जाना एवं पहचाना जाए।

भवदीय,
(आशिष पंडित)
पिता—देवराम पंडित.

(G-1066)

नाम परिवर्तन

मैं, राहुल कुशवाह पिता जगदीश कुशवाह, निवासी—गुजरी चौक राजपुर, तहसील राजपुर, जिला बड़वानी (म.प्र.). वर्तमान में मेरी पुत्री का नाम उसके जन्म प्रमाण—पत्र में त्रुटिवश “दर्शिता कुशवाह” अंकित हो गया है। जबकि उसका सही, वास्तविक एवं प्रचलित नाम “शप्तांशी कुशवाह” है। अतः उक्त कारण से मैं, मेरी पुत्री के पूर्व नाम “दर्शिता कुशवाह” के स्थान पर प्रचलित नाम “शप्तांशी कुशवाह” अंकित कर उक्त नाम से ही जानी एवं पहचानी जाए।

भवदीय,
(राहुल कुशवाह)
पिता—जगदीश कुशवाह.

(G-1067)

नाम परिवर्तन

मैं, डॉ. रशिम पाटीदार पति लखन पाटीदार, 841, ग्राम—सुसारी, तहसील कुक्षी, जिला धार (म.प्र.). मेरी पुत्री का नाम उसके जन्म प्रमाण—पत्र में त्रुटिवश “यश्वी/निवा पाटीदार” अंकित हो गया है, जबकि उसका सही, वास्तविक एवं प्रचलित नाम “निवा पाटीदार” है। अतः उक्त कारण से मैं, मेरी पुत्री के पूर्व नाम “यश्वी/निवा पाटीदार” के स्थान पर प्रचलित नाम “निवा पाटीदार” अंकित कर उक्त नाम से ही जानी एवं पहचानी जाएगी।

भवदीय,
(रशिम पाटीदार)
पति—लखन पाटीदार.

(G-1068)

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, “मेसर्स श्री रंग पेट्रोकेम इण्डस्ट्रीज” पंजीयन क्रमांक आईएफ /43, सन् 1999–2000, दिनांक 16–7–1999 को इंदौर संभाग से पंजीकृत फर्म है। यह संशोधित भागीदारी फर्म दिनांक 9 मई 2024 को भागीदार सुरिन्द्र गुप्ता पिता श्री शंकर लाल गुप्ता, निवासी—म. नं 125ई, गौतम नगर, एंडूस गंज, दिल्ली—110049 आपसी सहमति से इस भागीदारी फर्म से पृथक (अलग) हो रहे हैं तथा वासु अगरवाल पिता श्री संजीव कुमार अगरवाल, निवासी—ई–22, जंगपुरा एक्सटेंशन, जंगपुरा, दक्षिण दिल्ली, दिल्ली—110014 को आपसी सहमति से इस भागीदारी फर्म में सम्मिलित हो रहे हैं।

For Shri Rang Petrochem Industries,
संजीव कुमार अगरवाल,
(भागीदार)
पता—51/ए, एकेवीएन इण्डस्ट्रीयल एरिया,
मेघनगर, जिला झाबुआ (म.प्र.).

(G-1069)

आम सूचना

मेसर्स श्री नर्मदा मोटर्स का दिनांक 23-3-2015 में भागीदार फर्म के रूप में निर्माण हुआ। जिसमें श्री लेखराज सिंह एवं श्रीमति माला सिंह भागीदार थे। यह फर्म रजिस्ट्रार फर्म एवं संस्थाएँ, जबलपुर में दिनांक 13-5-2015 में रजिस्टर्ड हुई हैं। जिसका पंजीयन क्रमांक 04-14-01-0028 / 15 है। तथा फर्म का पता 170, ठाकुर टिंग्बर कैंपस, गंगा सागर, जबलपुर (म.प्र.) था। फर्म कि द्वितीय भागीदार अभिलेख दिनांक 19-8-2023 के अनुसार श्रीमति माला सिंह अपनी स्वेच्छा से भागीदार फर्म से पृथक हो रही हैं एवं श्री विनय कुमार असाटी को फर्म में नये भागीदार के रूप में शामिल किया गया है एवं फर्म के कार्यालय का मुख्य पता—प्लाट नं. 497 / 2, वार्ड नं. 79, कटंगी रोड, नियर अमृत तीर्थ जैन मंदिर, करमेता, जबलपुर (म.प्र.) किया गया। फर्म कि तृतीय भागीदार अभिलेख दिनांक 1-4-2024 के अनुसार श्री लेखराज सिंह अपनी स्वेच्छा से भागीदार फर्म से पृथक हो रहे हैं एवं राशि असाटी को फर्म में नये भागीदार के रूप में शामिल किया गया है। वर्तमान में फर्म में श्री विनय कुमार असाटी एवं राशि असाटी क्रमशः दो ही भागीदार हैं और फर्म का पता भागीदार अभिलेख द्वितीय के अनुसार ही यथावत है।

FOR-SHREE NARMADA MOTOR'S,

विनय कुमार असाटी,

(भागीदार)

प्लाट नं. 497 / 2, वार्ड नं. 79, कटंगी रोड,

नियर अमृत तीर्थ जैन मंदिर, करमेता,

जबलपुर (म.प्र.).

(G-1070)

आम सूचना

(भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 की धारा 72 के अधीन)

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स जवाहर लाल शर्मा, पता—पथरोटा, तहसील—इटारसी, जिला—नर्मदापुरम (म.प्र.), जिसका पंजीयन कं. 01-07-03-00117-14, सन् 2014-2015, दिनांक 16-6-2014 को किया गया था, जिसमें चार भागीदार थे, भागीदारी फर्म जवाहर लाल शर्मा, पता पथरोटा, तहसील—इटारसी, जिला—नर्मदापुरम से भागीदार श्री जवाहर लाल शर्मा पिता श्री लेट श्री बाबू लाल शर्मा, दिनांक 24-1-2024 से, मृत्यु हो जाने के कारण फर्म से पृथक किया गया है। और अब फर्म में तीन भागीदार श्री मोहन लाल अग्रवाल पिता लेट श्री पूर्ण चंद्र अग्रवाल, संजीव शर्मा पिता लेट श्री जवाहरलाल शर्मा एवं राहुल दीक्षित पिता लेट श्री जवाहरलाल शर्मा फर्म में बने रहेंगे चालू रहेंगे। भागीदारी फर्म और भागीदारों के पतों में भी निम्न परिवर्तन किए गए—

भागीदारी फर्म मेसर्स जवाहर लाल शर्मा का पता पहले पथरोटा, तहसील—इटारसी, जिला—नर्मदापुरम (म.प्र.) था। अब दिनांक 24-1-2024 से फर्म नया पता—158, करमवीर नगर, इंद्रपुरी, भोपाल (म.प्र.) है। भागीदार मोहन लाल अग्रवाल का पता पहले पथरोटा, तहसील—इटारसी, जिला—नर्मदापुरम (म.प्र.) था। अब दिनांक 24-1-2024 से नया पता 18, संत नगर, फेस-1, दयालबाग, आगरा, उत्तर प्रदेश है। भागीदार संजीव शर्मा का पहले पता—22, लक्ष्मण नगर, अर्जुने नगर, आगरा, उत्तर प्रदेश था। अब दिनांक 24-1-2024 से नया पता—158, करमवीर नगर, इंद्रपुरी, भोपाल (म.प्र.) है। भागीदार राहुल दीक्षित का पहले पता—22, लक्ष्मण नगर, अर्जुने नगर, आगरा, उत्तर प्रदेश था। अब दिनांक 24-1-2024 से नया पता—158, करमवीर नगर, इंद्रपुरी, भोपाल (म.प्र.) है।

मेसर्स जवाहर लाल शर्मा,

राहुल दीक्षित,

(पार्टनर)

(G-1071)

आम सूचना

(इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अंतर्गत)

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स पूजा मिल्क एण्ड मिल्क प्रोडक्ट्स फर्म के रूप में सहायक पंजीयक कार्यालय फर्म्स एवं संस्थाएँ, इन्दौर में पंजीकृत हैं। यह कि फर्म के साझेदारों द्वारा आपसी सहमति से दिनांक 6-4-2024 को साझेदार श्रीमती रेशमा दीक्षित पति श्री रोहित दीक्षित, निवासी—मकान क्रमांक 189, जावरा काम्पाउन्ड, इन्दौर (म.प्र.). ने स्वेच्छा से फर्म से इस्तीफा दिया है एवं फर्म के साझेदार नहीं रहीं हैं।

M/S Pooja Milk and Milk Product,

SIDDARTH CHAWALA,

(Partner)

455, Scheme No. 78, Part 1,
Phase 2, Industrial Area, MR 11,
Niranjanpur, Indore (M.P.).

(G-1072)

आम सूचना

M/S KEWAT FISH FARMING फर्म के साझेदार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म का पंजीयन रजिस्ट्रार फर्म एवं संस्थाएँ, भोपाल पंजीयन क्र. 01-04-01-0092-23, दिनांक 18-6-2023 है। जिसमें कि 1. Kailash Narayan, 2. Dalchand Mewade दिनांक 4-10-2023 को स्वेच्छा से निवृत्तमान हो गये उक्त निवृत्तमान भागीदार का फर्म से किसी प्रकार का संबंध नहीं है। साथ ही फर्म में दिनांक 4-10-2023 को साझेदारी संशोधन विलेख निष्पादित किया गया है। फर्म में 2 (दो) नये भागीदार को सम्मिलित/शामिल किया गया 1. Babu Lal, 2. Saloni Khichi हैं, भागीदारी संशोधन विलेखानुसार सम्मिलित/शामिल साझेदार को संलेख में भागीदार के अधिकार प्राप्त होगें।

M/S KEWAT FISH FARMING,

BHERULAL,

(Partner).

(G-1073)

नाम परिवर्तन

मैं, मनोज कुमार बंसल पुत्र लक्ष्मीनारायण बंसल सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरी बेटी का पूर्व नाम शिवानी बंसल (SHIVANI BANSAL) था। जो उसके आधारकार्ड में लिखा गया है। जबकि वर्तमान एवं भविष्य में मेरी बेटी को नैना बंसल (NAINA BANSAL) पिता मनोज कुमार बंसल के नाम से जाना—पहचाना एवं पुकारा जाता है। जो मेरी बेटी के जन्म प्रमाण—पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है। शिवानीं बंसल एवं नैना बंसल दोनों मेरी बेटी के ही नाम हैं। अतः मेरी बेटी के आधारकार्ड में मेरी बेटी का नाम शिवानी बंसल के स्थान पर उसका सही नाम नैना बंसल लिखा एवं पढ़ा जावे।

सूचनाकर्ता,

(पिता—मनोज कुमार बंसल)

पुत्र—लक्ष्मीनारायण बंसल,

पता—जवाहर मार्ग, कैलारस,

मुरैना (म.प्र.).

(G-1074)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म M/s NAKODA SALES AND SERVICE जो 0, VILL-LOHANA, बड़नगर, उज्जैन में स्थित है, जिसका पंजीयन क्र. 07-33-03-0007-23, दिनांक 11-4-2023 है. जिसमें पंजीयन के समय फर्म का नाम गलती से M/s NAKODA SALES AND SERVICE हो गया था. जिसे संशोधित भागीदारी पत्रक दिनांक 21-11-2023 के लिखतम अनुबंध अनुसार M/s NAKODA SALES SERVICE किया गया है.

NAKODA SALES SERVICE,

सिद्धार्थ बाकलिवाल,

(भागीदार).

(G-1075)

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given that the firms " M/s PANDEY AGRO TECH " of 16, GWALIOR ROAD INDERGARH DATIA, 475661 (M.P.) Vide Registration No. 02-39-04-00012-24, dated 15-04-2024 has undergone reconstitution in the partnership, whereby partner Mr. Rajendra Kumar Mishra is retiring from the firm on 1-5-2024 and on the same date Mr. Prajjawal Pandey is joining the Firm as a partner

M/s. PANDEY AGRO TECH,

PRATIKSHA PANDEY

(G-1076)

(Partner).

नाम परिवर्तन

मैं, ब्रजमोहन सिंह तोमर (BRIJMOHAN SINGH TOMAR) पुत्र केशव सिंह तोमर, सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरा पूर्व नाम विक्रम सिंह तोमर (VIKRAM SINGH TOMAR) था. जो मेरे भारतीय जीवन बीमा निगम की पॉलिसी में लिखा गया है. जबकि वर्तमान एवं भविष्य में मैं, ब्रजमोहन सिंह तोमर पुत्र केशव सिंह तोमर के नाम से जाना—पहचाना एवं पुकारा जाता हूँ. जो मेरे आधार कार्ड, बैंक खाते एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है. विक्रम सिंह तोमर एवं ब्रजमोहन सिंह तोमर दोनों मेरे ही नाम हैं. अतः मेरी भारतीय जीवन बीमा निगम की पॉलिसी एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम विक्रम सिंह तोमर के स्थान पर ब्रजमोहन सिंह तोमर लिखा एवं पढ़ा जावे.

पुराना नाम
(विक्रम सिंह तोमर)

नया नाम
(ब्रजमोहन सिंह तोमर)
पुत्र—केशव सिंह तोमर,
पता—ग्राम इकहरा, पोस्ट पुरावास खुर्द,
तह. अम्बाह, जिला मुरैना (म.प्र.).

(G-1077)

नाम परिवर्तन

मैं, देवेन्द्र (Devendra) आत्मज खिलान सिंह, सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरे सभी शासकीय / अर्धशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम देवेन्द्र आत्मज खिलान सिंह अंकित है. जो कि सही हैं. परंतु मेरे आधार कार्ड में त्रुटि से शांतिलाल (Shantilal) आत्मज खिलान सिंह दर्ज हो गया है. जो कि गलत है. प्रकाशन के बाद मुझे देवेन्द्र आत्मज खिलान सिंह के नाम से ही जाना—पहचाना, पुकारा, पढ़ा एवं लिखा जाए.

पुराना नाम
(शांतिलाल)
(SHANTILAL)

नया नाम
(देवेन्द्र)
(DEVENDRA)
आत्मज खिलान सिंह,
निवासी—मकान नंबर-14, ललचिया,
विदिशा (म.प्र.).

(G-1078)

नाम परिवर्तन

मैं, दिनेश गोराडिया (Dinesh Goradia) पुत्र शांति लाल गोराडिया, सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरे सभी शासकीय / अर्धशासकीय / अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम दिनेश गोराडिया (Dinesh Goradia) पुत्र शांति लाल गोराडिया है। जो कि सही है, परंतु मेरे शेयर्स में त्रुटि से मेरा नाम दिनेश एस गोराडिया (Dinesh S Goradia) पुत्र शांति लाल गोराडिया अंकित हो गया है। दिनेश एस गोराडिया (Dinesh S Goradia) और दिनेश गोराडिया (Dinesh Goradia) दोनों ही नाम एक ही व्यक्ति के हैं यानी कि मेरे प्रकाशन के बाद मुझे दिनेश गोराडिया (Dinesh Goradia) के नाम से ही जाना—पहचाना, लिखा, पढ़ा एवं पुकारा जाए।

पुराना नाम
(दिनेश एस गोराडिया)
(DINESH S GORADIA)

नया नाम
(दिनेश गोराडिया)
(DINESH GORADIA)
20, परिवार लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, दल बाजार,
ग्वालियर (म.प्र.).

(G-1079)

नाम परिवर्तन

मैं, निकेता दिनेशकुमार गोराडिया (Niketa Dineshkumar Goradia) सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरे सभी शासकीय / अर्धशासकीय / अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम निकेता दिनेशकुमार गोराडिया (Niketa Dineshkumar Goradia) है। जो कि सही है, परंतु मेरे शेयर्स में त्रुटि से मेरा नाम निकेता गोराडिया (Niketa Goradia) अंकित हो गया है। निकेता दिनेशकुमार गोराडिया (Niketa Dineshkumar Goradia) निकेता दिनेश कुमार (Niketa Dinesh kumar) और निकेता दिनेशकुमार गोराडिया (Niketa Goradia) सभी नाम एक ही व्यक्ति के हैं यानी कि मेरे प्रकाशन के बाद मुझे निकेता दिनेशकुमार गोराडिया (Niketa Dineshkumar Goradia) के नाम से ही जाना—पहचाना, लिखा, पढ़ा एवं पुकारा जाए।

पुराना नाम
(निकेता गोराडिया)

नया नाम
(निकेता दिनेशकुमार गोराडिया)
(Niketa Dineshkumar Goradia)
20, परिवार लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, दल बाजार,
ग्वालियर (म.प्र.).

(G-1080)

नाम परिवर्तन

मैं, नीरु जैन (Neeru Jain) पुत्री श्री रायचंद जैन, सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि मेरे सभी शासकीय / अर्धशासकीय / अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम नीरु जैन (Neeru Jain) पुत्री श्री रायचंद जैन है। जो कि सही है, परंतु मेरे शेयर्स में त्रुटि से मेरा नाम नीरु आर जैन (Neeru R Jain) पुत्री श्री रायचंद जैन अंकित हो गया है। नीरु आर जैन (Neeru R Jain) और नीरु जैन (Neeru Jain) दोनों ही नाम एक ही व्यक्ति के हैं यानी कि मेरे प्रकाशन के बाद मुझे नीरु जैन (Neeru Jain) के नाम से ही जाना—पहचाना, लिखा, पढ़ा एवं पुकारा जाए।

पुराना नाम
(नीरु आर जैन)
(Neeru R Jain)

नया नाम
(नीरु जैन)
(Neeru Jain)
A-43, द्वारका धाम कॉलोनी, न्यू जेल रोड,
एम. आई. नगर, हुजूर (म.प्र.).

(G-1081)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, अनिल यादव, निवासी—ग्राम पन्थव, तहसील बीना, जिला सागर (म.प्र.) हैं। मेरे पुत्र के आधार कार्ड में गलत नाम नारायण यादव आत्मज श्री अनिल यादव लिखा गया था। जो कि गलत है। मेरे पुत्र का सही नाम सिद्धांत यादव आत्मज श्री अनिल यादव लिखा जावे व पढ़ा जावे।

भवदीय,
(अनिल यादव)

(G-1082)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, रमेश कोरी पिता स्व. छोटेलाल, प्लॉट नं.-249, पंचशील नगर, नियर हनुमान मंदिर, भोपाल (म.प्र.). मेरी शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा नाम रमेश कोरी दर्ज है। जबकि मैं, रमेश महावर के नाम से ही जाना अथवा पहचाना जाता हूँ मुझे मेरे नये नाम रमेश महावर पिता स्व. छोटेलाल महावर के संशोधित नाम से ही जाना—पहचाना जाये एवं मेरे इसी नाम का उल्लेख मेरे समस्त अभिलेखों में किया जाये।

पुराना नाम
(रमेश कोरी)
पिता—स्व. छोटेलाल.

नया नाम
(रमेश महावर)

(G-1083)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा पूर्व का नाम धर्मेन्द्र कुम्भकार है। जो कि मेरे आधार कार्ड पर दर्ज व अंकित है एवं मेरा वास्तविक नाम पिन्टु कुम्भकार (PINTU KUMBHKAR) है। जो कि मेरे वोटर कार्ड पर दर्ज व अंकित है। उपरोक्त दोनों ही नाम एक ही व्यक्ति के ही होकर मेरे ही हैं एवं भविष्य में मेरे वास्तविक नाम पिन्टु कुम्भकार (PINTU KUMBHKAR) से जाना व पहचाना जाये।

पुराना नाम
(धर्मेन्द्र कुम्भकार)

नया नाम
(पिन्टु कुम्भकार)

(G-1084)

नाम परिवर्तन

आम जनता को सूचित किया जाता है कि मेरा पूर्व नाम शीला तिवारी पति शिवरतन प्रकाश तिवारी है। जो मेरे आधार कार्ड में अंकित है। जबकि वोटर कार्ड एवं अन्य शासकीय, अशासकीय दस्तावेजों में गिरजा देवी तिवारी अंकित है। गिरजा देवी तिवारी एवं शीला तिवारी दोनों एक ही व्यक्ति अर्थात् मेरे ही हैं। प्रकाशन उपरांत मुझे मेरे सही नाम गिरजा देवी तिवारी के नाम से जाना—पहचाना, लिखा—पढ़ा दर्ज किया जावें।

पुराना नाम
(शीला तिवारी)
(SHEELA TIWARI)

नया नाम
(गिरजा देवी तिवारी)
(GIRJA DEVI TIWARI)

पता—म. नं. 392 / 3, दयानंद सरस्वती वार्ड,
नवीन विद्या भवन विद्यालय के पीछे, नेपियर टाउन,
जबलपुर (म.प्र.).

(G-1085)

CHANGE OF NAME

I, HARSHITA PALIWAL D/o Kamal Paliwal here by declare that I have change my name as HARSHIKA PALIWAL D/o Kamal Paliwal so from now and in future I will be know by my new name.

Old Name

(HARSHITA PALIWAL)

(G-1086)

New Name

(HARSHIKA PALIWAL)

ADD- 35, Manish Bagh Colony,
Indore (M.P.).

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, इंदर सिंह राजपूत पुत्र श्री गुलाब सिंह राजपूत, निवासी—ग्राम परसोरिया, बैरसिया, जिला भोपाल (म.प्र.). मेरा वास्तविक नाम इंदर सिंह राजपूत (INDAR SINGH RAJPUT) है. आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम तीरन सिंह अंकित हो गया है. अब मैं, अपने वास्तविक नाम इंदर सिंह राजपूत (INDAR SINGH RAJPUT) के नाम से जाना—पहचाना जाऊंगा, सभी शासकीय / अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में मेरा यहीं नाम रहेगा.

पुराना नाम

(तीरन सिंह)

(G-1087)

नया नाम

(इंदर सिंह राजपूत)

(INDAR SINGH RAJPUT)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, विष्णु प्रसाद नागर आत्मज श्री कन्हैयालाल नागर, निवासी—ग्राम ओडपुर, पोस्ट भाटखेडी, तहसील खुजनेर जिला राजगढ़ (म.प्र.). मेरी पुत्री का वास्तविक नाम मुस्कान नागर (MUSKAN NAGAR) है, आधार कार्ड में त्रुटिवश मधु हो गया है, अब मेरी पुत्री अपने वास्तविक व नये नाम मुस्कान नागर (MUSKAN NAGAR) के नाम से जानी जायेगी एवं सभी शासकीय / अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में मेरी पुत्री का यहीं नाम रहेगा.

पुराना नाम

(मधु)

(G-1088)

नया नाम

(मुस्कान नागर)

(MUSKAN NAGAR)

पिता—श्री विष्णु प्रसाद नागर.

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि राजेन्द्र कुमार पाल पिता श्री गिरधारीलाल पाल, निवासी—314, अष्ट विनायक रेसीडेंसी, राजबाग—2, रतलाम (म.प्र.) मेरी पुत्री मोनिका तथा पुत्री दिशा पाल के शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा नाम राजेन्द्र पाल अंकित है. जिसे सुधार कर राजेन्द्र कुमार पाल अंकित करवाना है. जो सही नाम होकर सभी अन्य दस्तावेजों में अंकित है.

पुराना नाम

(राजेन्द्र पाल)

(G-1089)

नया नाम

(राजेन्द्र कुमार पाल)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, मुन्ना खान पिता गफूर खान, निवासी—34/1, काजीपुरा, रतलाम (म.प्र.). मेरे को मुन्ना खान पिता गफूर खान एवं मोहम्मद अनीश खान पिता गफूर खान दोनों नाम से जाना—पहचाना जाता है एवं दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं। भविष्य में मेरे को मुन्ना खान पिता गफूर खान के नाम से जाना—पहचाना जावे।

पुराना नाम (मोहम्मद अनीश खान)	नया नाम (मुन्ना खान) पिता—गफूर खान.
----------------------------------	---

(G-1090)

नाम परिवर्तन

मैं, दिलीप सिंह देवड़ा, पता—101, रुनखेड़ा, तहसील खाचरौद, जिला उज्जैन (म.प्र.). मेरा नाम मेरे समस्त स्कूल दस्तावेजों में दिलीप सिंह देवड़ा पिता राजेन्द्र देवड़ा अंकित है। लेकिन वास्तव में मेरे पिता का नाम रामसिंह देवड़ा होकर उनके समस्त दस्तावेज में नाम दर्ज है एवं मेरे पिता को वर्तमान में रामसिंह देवड़ा के नाम से जानते हैं। मेरे समस्त स्कूली दस्तावेजों में मेरा नाम दिलीप सिंह देवड़ा पिता राजेन्द्र देवड़ा के स्थान पर दिलीप सिंह देवड़ा पिता रामसिंह देवड़ा दर्ज किया जावे।

प्रार्थी,
(दिलीप सिंह देवड़ा)

(G-1091)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, ब्लोस्सो आन अल्फोनसे (Blossom Ann Alphonse) पति इमरान खान, निवासी—22, इन्द्रा नगर, रतलाम (म.प्र.). मुझे ब्लोस्सो आन अल्फोनसे (Blossom Ann Alphonse) एवं खान नौसिन (Khan Nauseen) दोनों नामों से जानी—पहचानी जाती हूँ एवं दोनों नाम मेरे एक ही महिला के हैं एवं भविष्य में मुझको ब्लोस्सो आन अल्फोनसे (Blossom Ann Alphonse) के नाम से ही जानी—पहचानी जावें।

पुराना नाम (खान नौसिन) (Khan Nauseen)	नया नाम (ब्लोस्सो आन अल्फोनसे) (Blossom Ann Alphonse)
---	---

(G-1092)

CHANGE OF NAME

I, Raj Kumari Thakur W/o Uday Singh Thakur do hereby declare that I am shareholder of Reliance Industries Ltd. and in said shares my maiden name Raj Bai Bais is mentioned, however after marriage my name is Raj Kumari Thakur which is also written on my Pan Card & Aadhar Card. I state that Raj Bai Bais and the Raj Kumari Thakur is the name of one and the same person and that is myself.

Old Name (RAJ BAI BAIS)	New Name (RAJ KUMARI THAKUR)
-------------------------------------	--

(G-1093)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, आसिफ खान पिता सफीउल्लाखान, निवासी—वार्ड क्र.—33, शूफी मस्जिद के सामने घोघर रीवा, तहसील—हुजूर, जिला—रीवा (म.प्र.). मेरी पुत्री का नाम शासकीय व अशासकीय अभिलेखों में रशेल खान लिखा है, अब मैं, अपनी पुत्री का नाम रशेल खान के स्थान पर राया खान (RAYA KHAN) लिखाना चाहता हूँ। अतः समस्त शासकीय व अशासकीय अभिलेखों में मेरी पुत्री का नाम राया खान (RAYA KHAN) लिखा व पढ़ा जाय।

पुराना नाम
(रशेल खान)
(RASHEL KHAN)

नया नाम
(राया खान)
(RAYA KHAN)

(G-1094)

नाम परिवर्तन

मैं, अंजू देवी पत्नी श्री राजेश त्रिपाठी, निवासी—ए-380, न्यू अशोका गार्डन, भोपाल (म.प्र.). सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि मेरा नाम कुछ शासकीय दस्तावेजों में अंजू त्रिपाठी पत्नी श्री राजेश त्रिपाठी दर्ज हो गया है। जो कि गलत है। जबकि मेरे आधार कार्ड एवं पेन कार्ड में मेरा नाम अंजू देवी पत्नी श्री राजेश त्रिपाठी लिखा है जो कि सही है। अतः मुझे मेरे सही नाम अंजू देवी पत्नी श्री राजेश त्रिपाठी के नाम से जाना—पहचाना एवं लिखा—पढ़ा दर्ज किया जावे।

पुराना नाम
(अंजू त्रिपाठी)
(G-1095)

नया नाम
(अंजू देवी)
पत्नी—श्री राजेश त्रिपाठी।

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स वेंकटेश कंस्ट्रक्शन मेन स्ट्रीट, महू, जिला इन्दौर (म.प्र.) 453441 का पंजीयन क्रमांक 03—27—02—0061—22, दिनांक 23—5—2022 पर पंजीकृत भागीदारी फर्म है। उक्त फर्म के पते में परिवर्तन दिनांक 9—3—2022 को मेन स्ट्रीट, महू, जिला इन्दौर (म.प्र.) 453441 के स्थान पर 327 मेन स्ट्रीट डॉ. आंबेडकर नगर, महू, जिला इन्दौर (म.प्र.) 453441 किया गया है। उक्त फर्म के नाम में परिवर्तन दिनांक 7—5—2024 को फर्म मेसर्स वेंकटेश कंस्ट्रक्शन को संशोधित कर फर्म मेसर्स श्री वेंकटेश कंस्ट्रक्शन रखा गया है। उक्त फर्म अब फर्म मेसर्स श्री वेंकटेश कंस्ट्रक्शन के नाम से पहचानी जाएगी।

(G-1096)

FOR-Shree Venkatesh Construction,
वृन्दावन अग्रवाल,
(भागीदार)।

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स सुधीर इंडस्ट्रीज, पता—इटारसी, जिला होशंगाबाद (म.प्र.) में स्थित है। जिसका फर्म एवं सोसायटी कार्यालय भोपाल में पंजीयन क्र. 99 सन् 1999—2000 में दिनांक 19 जनवरी 2000 में पंजीयत है। जिसमें दिनांक 1—4—2024 को पार्टनर श्री कैलाश डोंगरे पिता श्री के. एल. डोंगरे, पता—न्यास कालोनी, इटारसी, जिला होशंगाबाद (म.प्र.) अपनी स्वेच्छा से पृथक् हो रहे हैं तथा इसी दिन दिनांक 1—4—2024 को दो नए भागीदार 1. अभिमन्यु कठल पिता—श्री सुनील कुमार कठल, इटारसी एवं 2. अमन सिंह पिता श्री मानमीत सिंह सिंधु, विला नं. 17, फेज—3, पेवलवे, भोपाल फर्म में सम्मिलित हो रहे हैं, अब दिनांक 1—4—2024 से फर्म मेसर्स सुधीर इंडस्ट्रीज में चार भागीदार क्रमशः 1. श्रीमती माया कठल, 2. श्रीमती आरती सिंधु, 3. श्री अभिमन्यु कठल, 4. अमन सिंह रहेंगे।

(G-1097)

FOR-Sudhir Industries,
अभिमन्यु कठल,
(Partner)।

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म M/s. National Petrol Supply Co. Bus Stend, Chhatarpur (M.P.) पंजीयन कमांक 2953 / 1970 सन् 1969–1970, दिनांक 31–३–१९७० पर पंजीकृत है. फर्म में दिनांक 29–१–२००८ को Sardar Pyara Singh, Sardar Harminder Singh, Sardar Jaspal Singh, Sardar Paramjeet Singh, Sardar Gurleen Singh & Sardar Jaspreet Singh Sahmbi भागीदार थे. उक्त फर्म की रचना में परिवर्तन दिनांक 26–६–२०१६ को फर्म के भागीदार Sardar Pyara Singh के दिनांक 26–६–२०१६ को मृत्यु होने के कारण फर्म की भागीदारी से स्वतः पृथक् हो गये और उक्त दिनांक 26–६–२०१६ को Sardar Navinder Singh को फर्म के भागीदारी में सम्मिलित किया गया. उक्त फर्म की रचना में परिवर्तन दिनांक 2–६–२०१७ को फर्म के भागीदार Sardar Harminder Singh के दिनांक 2–६–२०१७ को मृत्यु होने के कारण फर्म की भागीदारी से स्वतः पृथक् हो गये और उक्त दिनांक 2–६–२०१७ को Smt. Balbir Kaur Sahmbi को फर्म के भागीदारी में सम्मिलित किया गया. उक्त फर्म की रचना में परिवर्तन दिनांक 31–३–२०२० को फर्म के भागीदार Smt. Balbir Kaur Sahmbi & Sardar Navinder Singh स्वेच्छा से फर्म की भागीदारी से पृथक् हो गये. जिसका संशोधित विलेख दिनांक 1–४–२०२० को निष्पादित किया गया है. वर्तमान में, फर्म में Sardar Jaspal Singh, Sardar Paramjeet Singh, Sardar Gurleen Singh & Sardar Jaspreet Singh Sahmbi भागीदार हैं. फर्म के भागीदारों के मध्यम कोई भी लेनदारी व देनेदारी शेष नहीं है.

M/s. National Petrol Supply Co.,
SARDAR JASPAL SINGH
(Partner).

(G-1098)

उपनाम परिवर्तन

मैं, अभिषेक साहू आ. देवेन्द्र कुमार साहू सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरा नाम शासकीय, अशासकीय दस्तावेजों में अभिषेक साहू लिखा हुआ है. मेरे द्वारा उपनाम साहू परिवर्तित करने से प्रकाशन उपरांत मुझे नये नाम अभिषेक लेवी नाम से जाना— पहचाना एवं लिखा—पढ़ा दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(अभिषेक साहू)

नया नाम
(अभिषेक लेवी)
पता—मकान नं. ७६, क्षिरना रोड,
सरस्वती रक्कूल के पास, नरसिंहपुर (म.प्र.).

(G-1099)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा पूर्व नाम कामिनी जाटव है. मुझे उपनाम परिवर्तन कर कामिनी एन. बौद्ध के नाम से लिखा—पढ़ा और दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(कामिनी जाटव)

नया नाम
(कामिनी एन. बौद्ध)
स्थाई पता—ग्राम कोटरा, पोस्ट गुरुनावदा,
जिला श्योपुर (म.प्र.).

(G-1100)

नाम परिवर्तन

मैं DEEPTI RATNANI W/o NIRAJ RATNANI, R/o H. No. 27, NIRMAL ENCLAVE, VITHAL NAGAR, PHASE-II, NEAR JAIN NAGAR, LALGHATI, BHOPAL (M.P.). विवाह पूर्व मेरा नाम JYOTI RANI D/o OM PRAKASH था. विवाह पश्चात मेरा नाम—DEEPTI RATNANI W/o NIRAJ RATNANI हो गया है. जिस भी दस्तावेज में मेरा नाम JYOTI RANI D/o OM PRAKASH दर्ज है. उसके स्थान पर मेरा नाम—DEEPTI RATNANI W/o NIRAJ RATNANI पढ़ा एवं लिखा जावे.

पुराना नाम

(JYOTI RANI)

D/o OM PRAKASH

(G-1101)

नया नाम

(DEEPTI RATNANI)

W/o NIRAJ RATNANI

नाम परिवर्तन

मैं, NARAYAN SWAMY JOLINGI S/o MUSALAIH JOLINGI, R/O H. No. 161, SANGAM GARDEN, NEAR REGAL CIVIC CENTRE, KHAJURI KALAN, BHOPAL(M.P.) मेरे कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम NARAYAN SWAMY S/o MUSALAIH दर्ज है, तथा कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम NARAYAN SWAMY JOLINGI S/o MUSALAIH JOLINGI दर्ज है. जिस भी दस्तावेज में मेरा नाम NARAYAN SWAMY S/o MUSALAIH दर्ज है. उसके स्थान पर मेरा नाम—NARAYAN SWAMY JOLINGI S/o MUSALAIH JOLINGI पढ़ा एवं लिखा जावे.

पुराना नाम

(NARAYAN SWAMY)

S/o MUSALAIH

(G-1102)

नया नाम

(NARAYAN SWAMY JOLINGI)

S/o MUSALAIH JOLINGI

नाम परिवर्तन

मैं, SHAUKAT ALI S/o LATE AHMED ALI, R/o H. No. 70, B-SECTOR, HAZRAT NIZAMUDDIN COLONY, PIPLANI, BHOPAL(M.P.). मेरे कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम SHOKAT ALI S/o AHMED ALI दर्ज है, तथा कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम SHAUKAT ALI S/o LATE AHMED ALI दर्ज है. जिस भी दस्तावेज में मेरा नाम SHOKAT ALI S/o AHMED ALI दर्ज है. उसके स्थान पर मेरा नाम—SHAUkat ALI S/o LATE AHMED ALI पढ़ा एवं लिखा जावे.

पुराना नाम

(SHOKAT ALI)

S/o AHMED ALI

(G-1103)

नया नाम

(SHAUkat ALI)

S/o LATE AHMED ALI

CHANGE OF NAME

This is to inform all that before marriage my name was Karuna Moryani Daughter of Shri Rajesh Moryani and after marriage solemnized my name Karuna Nawani wife of shri Mohit Nawani. I should be known by new name KARUNA NAWANI wife of Shri MOHIT NAWANI.

Old Name

(KARUNA MORYANI)

D/o Shri Rajesh Moryani

(G-1104)

New Name

(KARUNA NAWANI)

W/o MOHIT NAWANI,

Address:-150, Vitthal Nagar,
Lalghati, Bhopal (M.P.).

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि मेरा पूर्व का नाम महावीर जाटव है। मुझे उपनाम परिवर्तन कर महावीर एन. बौद्ध के नाम से लिखा—पढ़ा और दर्ज किया जावे।

पुराना नाम
(महावीर जाटव)

नया नाम
(महावीर एन. बौद्ध)
रथाई पता—ग्राम कोटरा, पोस्ट गुरुनावदा,
जिला श्योपुर, (म.प्र.)

(G-1105)

नाम परिवर्तन

मैं, ARUN KUMAR PISDA S/o DHANAJEET RAM PISDA, R/O 6, PIYUSH NAGAR, AWADHPURI, KHAJURI KALAN, BHOPAL (M.P.) मेरे कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम ARUN KUMAR PISDA S/o DHANAJI RAM PISDA दर्ज है, तथा कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम ARUN KUMAR PISDA S/o DHANAJEET RAM PISDA दर्ज है। जिस भी दस्तावेज में मेरा नाम ARUN KUMAR PISDA S/o DHANAJI RAM PISDA दर्ज है। उसके स्थान पर मेरा नाम—ARUN KUMAR PISDA S/o DHANAJEET RAM PISDA पढ़ा एवं लिखा जावे।

पुराना नाम
(ARUN KUMAR PISDA)
S/o DHANAJI RAM PISDA.

नया नाम
(ARUN KUMAR PISDA)
S/o DHANAJEET RAM PISDA.

(G-1106)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, "मेसर्स त्रिवेणी ट्रेडिंग कम्पनी" पंजीयन क्रमांक 01—01—01—0227—20, सन् 2020—2021, दिनांक 23 अक्टूबर 2020 भोपाल सम्माग से पंजीकृत फर्म हैं। यह कि, संशोधित भागीदारी फर्म दिनांक 8 सितम्बर 2021 के अनुसार भागीदार पुष्टेन्द्र सिंह भदौरिया पिता श्री राजेन्द्र सिंह भदौरिया, निवासी—16, जानकी नगर, लालघाटी, तह—हुजूर, भोपाल को इस भागीदारी फर्म में 30 अगस्त 2019 को आपसी सहमति से शामिल किया गया है। यह कि, संशोधित भागीदारी फर्म दिनांक 1 अप्रैल 2024 के अनुसार भागीदार (1) आरती तिवारी पुत्री विनोद शर्मा, निवासी—केयर आँफ ब्रजभूषण तिवारी, किशनगढ़ी, मुरैना, (2) मीनाक्षी भदौरिया पुत्री मदन सिंह कुशवाह, निवासी—16, गुफा मंदिर रोड, जानकी नगर, नयापुरा, भोपाल तथा (3) आरती पुत्री मनोहर सिंह, निवासी—पो.—बरेठ, भिण्ड इस भागीदारी फर्म से आपसी सहमति से दिनांक 31 मार्च 2024 को अलग (पृथक) हो रही हैं तथा सुनील सोनी पिता श्री पांडुरंग सोनी, निवासी—05, शिव मंदिर, बड़ चौक, बिछुआ, जिला—छिंदवाड़ा आपसी सहमति से इस भागीदारी फर्म में शामिल किया गया हैं। आमजन एवं सर्वजन को सूचित हों।

FOR-TRIVENI TRADING COMPANY,
पुष्टेन्द्र सिंह भदौरिया,
(भागीदार)
पता—101, स्वास्तिक अपार्टमेंट, कोलार रोड,
भोपाल (म.प्र.).

(G-1107)

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के अधीन रजिस्टर्ड फर्म M/s KALPATARU VENTURES पता— Shop No. 07, First Floor, Ultimate Arcade, Kolar Road, Bhopal (M.P.). पंजीयन क्रमांक 01—01—03 / 0457—23, दिनांक 7—2—2023 की रचना में निम्नानुसार परिवर्तन हुये हैं। यह कि दिनांक 28—3—2023 को भागीदार

क्र., 01 Mr-Abdullah Husain S/o Syed Sarwar Husain, Add.- 18, Lake View Colony, Koh-E-Fiza, Bhopal (M.P.). भागीदारी फर्म से पृथक् हो रहे हैं एवं उनके स्थान पर भागीदार क्र. 1 के रूप M/s. AMALTAS INDIA LIMITED (Director-Abdullah Husain) Add- F-05, Sanchi Complex, Shivaji Nagar, Opp. Board Office, M.P. Nagar, Bhopal (M.P.) को आपसी सहमति से इस भागीदारी फर्म में सम्मिलित किया गया है. यह कि दिनांक 16-3-2024 को भागीदार क्र. 01 M/s. AMALTAS INDIA LIMITED (Director-Abdullah Husain) Add- F-05, Sanchi Complex, Shivaji Nagar, Opp. Board Office, M.P. Nagar, Bhopal (M.P.) , भागीदार क्र. 02 Ravi Malviya S/o Shri Ashok Malviya, Add- 04, Love Huts, Opp. Chinar Woodland, Chunabhatti, Bhopal (M.P.) तथा भागीदार क्र. 03 Mohammed Masood Javed Qureshi S/o Shri Salam Abdul, Add. B-108, Reliable Heritej, Housing Board Colony, Koh-E-Fiza, Bhopal (M.P.) भागीदारी फर्म से पृथक् हो रहे हैं. तथा उनके स्थान पर नये भागीदार क्र. 01 Mr. Faizal Ahmed S/o Shri Afaque Ahmed, Add.-Flat S-2, Plot No. A-136, Vikram Apartment, Housing Board Colony, Koh-E-Fiza, Bhopal (M.P.) तथा भागीदार क्र. 02 Mr. Shanawaz S/o Shri Behzad Pasha, Add- 66/2, Gali No- 01, Masjid Darul Maham, Ginnori, Bhopal (M.P.) को आपसी सहमति से इस भागीदारी फर्म में सम्मिलित किया गया है.

M/S. KALPATARU VENTURES,
FAIZAL AHMED,
(भागीदार).

Add.-Flat S-2, Plot No. A-136, Vikram Appartment,
Housing Board Colony, Koh-E-Fiza,
Bhopal (M.P.).

(G-1108)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के अधीन रजिस्टर्ड फर्म ANANT MULTIVENTURES, पता—B—8, B-Sector, Kasturba Nagar, Near Chetak Bridge, Bhopal (M.P.). पंजीयन क्रमांक 01—01—01—0268—23, दिनांक 30—11—2023 की रचना में निम्नानुसार परिवर्तन हुए हैं. यह कि दिनांक 24—5—2024 से फर्म का पूर्व पता—बी—8, बी सेक्टर, कस्तुरबा नगर, चेतक ब्रिज के पास, भोपाल (म.प्र.) परिवर्तित कर नया पता— बी—11, बी सेक्टर, कस्तुरबा नगर, चेतक ब्रिज के पास, भोपाल (म.प्र.)—462024 किया गया है. उक्त नवीन स्थान पर ही फर्म का संचालन किया जायेगा.

FOR-ANANT MULTIVENTURES,
राजेश शर्मा
(Partner).

(G-1109)

नाम परिवर्तन

मैं, प्रीति त्रिपाठी (Priti Tripathi) पत्नी श्री आनंद त्रिपाठी, सर्वसाधारण को सूचित करती हूं कि मेरे सभी शासकीय/अर्धशासकीय/अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम प्रीति त्रिपाठी (Priti Tripathi) पत्नी श्री आनंद त्रिपाठी है जो कि सही है, परंतु मेरे शेयर्स में मेरा नाम प्रीति मिश्रा (Preeti Mishra) अंकित है. जो कि मेरे शादी के पूर्व का नाम है. प्रीति त्रिपाठी (Priti Tripathi), प्रीति त्रिपाठी (Preeti Tripathi) और प्रीति मिश्रा (Preeti Mishra) सब ही नाम एक ही व्यक्ति के हैं यानी की मेरे प्रकाशन उपरांत मुझे प्रीति त्रिपाठी (Priti Tripathi) के नाम से ही जाना—पहचाना, लिखा, पढ़ा एवं पुकारा जाए.

पुराना नाम
(प्रीति मिश्रा, प्रीति त्रिपाठी)
(Preeti Mishra, Preeti Tripathi)

(G-1110)

नया नाम
(प्रीति त्रिपाठी)
(Priti Tripathi)
पता—B—23, गोले का मंदिर, पुरषोत्तम विहार,
कॉलोनी गिर्द, ग्वालियर (म.प्र.).

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम रामबाबू लववंशी (Rambabu Loveanshi) था, जो कि अब परिवर्तित कर राम लववंशी (Ram Loveanshi) कर लिया गया है। अतः भविष्य में मुझे इसी नाम से ही जाना व पहचाना जावे।

पुराना नाम (रामबाबू लववंशी)	नया नाम (राम लववंशी)
(G-1111)	पिता—कैलाश नारायण
आम सूचना	

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हमारी फर्म मे. विन्ध्या सिरेमिक्स जो कि 55, औद्योगिक क्षेत्र, सतना में स्थित है। जिसका पंजीयन क्र. 652, दिनांक 18-08-1987 द्वारा फर्म के रजिस्टर इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट, 1932 की धारा 58(1) द्वारा पंजीकृत है। दिनांक 7-3-2024 को विन्ध्या बोर्डस् प्राइवेट लिमिटेड, पता—55, औद्योगिक क्षेत्र, सतना भागीदारी में सम्मिलित हो रहे हैं। जो निम्नानुसार है:— 1. श्री योगेश कुमार ताम्रकार, 2. श्री मयंक ताम्रकार, 3. श्री जयदेव योगेश ताम्रकार, 4. पद्मा मर्कन्डाइस प्राइवेट लिमिटेड सम्मिलित होने वाले पार्टनर दिनांक 7-3-2024 1. मेरसर्स विन्ध्या बोर्डस् प्राइवेट लिमिटेड, पता—55, औद्योगिक क्षेत्र, सतना।

(G-1112)	M/S VINDHYA CERAMICS, योगेश कुमार ताम्रकार (भागीदार).
----------	---

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं पंजीयक, लोक न्यास, सीहोर, मध्यप्रदेश सीहोर, दिनांक 20 मई 2024

प्र.क्र.0001—बी—113(1)—2024—25.—आवेदक रामरत्न गौर आ. राधेकिशन गौर एवं अन्य, निवासी—ग्राम चरनाल, तहसील श्यामपुर, जिला सीहोर द्वारा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 के नियम 4 के अंतर्गत "राम एवं हनुमान मंदिर" ग्राम चरनाल, तह. श्यामपुर, जिला सीहोर का लोक न्यास पंजीयन कराने हेतु आवेदन—पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः, एतद्वारा, सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि उक्त "श्री राम एवं हनुमान मंदिर" ग्राम चरनाल, तह. श्यामपुर, जिला सीहोर, पंजीयन लोक न्यास में किये जाने के संबंध में किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति अथवा आक्षेप हो तो वह अपनी आपत्ति मेरे न्यायालय में दिनांक 24-6-2024 तक न्यायालयीन समय में स्वयं या अपने अभिभाषक के माध्यम से उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं। बाद स्याद प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 20 मई 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-1113)	तन्मय वर्मा, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).
----------	---

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, बासौदा, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश बासौदा, दिनांक 22 मई 2024

प्रारूप—चार

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा 5 की उपधारा (2) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम 5(1) देखिये]

प्र.क्र.0001—बी—113—2024—25—712.—यतः कि श्री बाबूलाल पुत्र स्व. हरप्रसाद राजपूत, निवासी—ग्राम मढिया पोनिया, तहसील गंजबासौदा, जिला विदिशा ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अधीन एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिये लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिये आवेदन किया है, एतद्वारा सूचना—पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पर दिनांक 20-6-2024 को मेरे न्यायालय में विचार में लिया जायेगा।

अतः, मैं, विजय राय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, बासौदा, जिला विदिशा का लोक न्यासों का पंजीयक, अपने न्यायालय में दिनांक 20-6-2024 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के द्वारा यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्थापित करता हूँ।

अतः, एतद्वारा, सूचना दी जाती है कि किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या संपत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत कर सकता है और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिये। उपरोक्त अवधि के, अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जायेगा:-

अनुसूची

(पब्लिक द्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल संपत्ति का विवरण)

1. लोक न्यास का नाम व पता : “स्व. श्री हरप्रसाद सेवा द्रस्ट, गंजबासौदा, जिला विदिशा”
2. लोक न्यास की संपत्ति का विवरण : ग्राम मढिया पोनिया, सर्वे नंबर 45/2/4, रकबा 0.358 है। एवं सर्वे नंबर 42/4/1, रकबा 1.005 है।
3. चल सम्पत्ति : 6000/- (छ: हजार रुपये मात्र)

(G-1114)

विजय राय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

कार्यालय, सहायक आयुक्त (प्रशासन), सहकारिता, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश

बड़वानी, दिनांक 18 अप्रैल 2024

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा 69(4) के अन्तर्गत]

क्र.-परि.-2024-453.—आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था मर्या., लिम्बी, विकासखण्ड व तहसील पाटी, जिला बड़वानी (म.प्र.). जिसका पंजीयन क्रमांक/एन. एम. आर./288, खरगोन, दिनांक 28-12-1966 है। संस्था द्वारा बैद्यनाथन कमेटी की अनुशंसाओं के अंतर्गत साख संरचना के पुनः पैकेज के तहत संस्था के अपात्र पाए जाने एवं राज्य शासन द्वारा नाबार्ड (केन्द्र सरकार) के साथ निष्पादित एम.ओ.यू. के प्रावधानानुसार अपात्र संस्था को बंद करने/अन्य समिति में संविलियन किये जाने के निर्देश दिये गये थे। इस संबंध में राज्य शासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप इस कार्यालय द्वारा जारी आदेशों का उल्लंघन किया जाकर संविलियन के विरोध में संस्था द्वारा निर्णय पारित किया गया। इस प्रकार नियमानुसार कार्यवाही नहीं करते हुए उपविधियों एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों का उल्लंघन करने से इस कार्यालय के आदेश क्रमांक-परिसमापन-2011-385, बड़वानी, दिनांक 29-6-2011 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री शंकरसिंह वर्मा, शाखा प्रबंधक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या., खरगोन, शाखा पाटी, जिला बड़वानी को संस्था परिसमापक नियुक्त किया गया था।

संस्था परिसमापनांतर्गत होने के उपरांत भी कार्यक्षेत्र के सदस्यों को सेवाएं एवं शासन की योजनाओं का संचालन कर रही है। संस्था को पुनर्जीवित करने हेतु जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या., खरगोन एवं संस्था द्वारा लगातार पत्रों के माध्यम से मांग की जा रही थी। जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या., खरगोन द्वारा प्रशासकीय कमेटी की बैठक, दिनांक 6-1-2021 में संकल्प क्रमांक 02 पारित कर आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था मर्या., लिम्बी एवं उपला को पुनर्जीवित करने हेतु निर्णय लिया गया है। उक्त के संबंध में बैंक द्वारा पत्र क्रमांक/कृषिसाख-2022-21-2766, खरगोन, दिनांक 23-7-2021 से वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में संस्था द्वारा ऋण वितरण एवं वसूली तथा व्यवसाय की जानकारी देते हुए संस्था को परिसमापन से मुक्त करने की मांग की गई है।

संस्था को परिसमापन से मुक्त करने हेतु कार्यालयीन पत्र क्रमांक-परि./2022/999, बड़वानी, दिनांक 29-6-2022, 1728, दिनांक 20-12-2022 एवं पत्र क्रमांक 1132, दिनांक 14-11-2023 द्वारा संयुक्त आयुक्त, सहकारिता, इन्दौर संभाग, इन्दौर के माध्यम से आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल को प्रस्ताव प्रेषित किया गया था।

बैंक द्वारा पत्र क्रमांक—104—कृषिसाख—2023—24—5111, खरगोन, दिनांक 25—10—2023 को विगत पाँच वर्षों में संस्था द्वारा ऋण वितरण, मांग वसूली, सार्व. दुकानों के व्यवसाय एवं हानि की जानकारी संलग्न कर संस्था को परिसमापन से मुक्त करने की मांग की गई जिसके संबंध में कार्यालय संयुक्त आयुक्त, सहकारिता एवं संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, इन्दौर संभाग, इन्दौर द्वारा पत्र क्रमांक परिसमापन /2023 / 1133, इन्दौर, दिनांक 23—11—2023 कर निर्देशित किया गया कि संस्था बैद्यनाथन कमेटी की अनुशंसाओं के अंतर्गत निर्धारित मापदण्डों की पूर्ति नहीं करने से तथा संस्थाओं के अपात्र हो जाने से जिला कार्यालय बड़वानी द्वारा वर्ष 2011 में, परिसमापन में लाया गया है। संस्था प्राथमिक स्तर की होकर जिला कार्यालय से परिसमापन में लाई जाने से तथा प्राथमिक स्तर की संस्था के संबंध में अधिनियम के प्रावधानांतर्गत प्राधिकार/शक्तियां सहायक आयुक्त, सहकारिता, जिला बड़वानी में वैष्ठित होने से उक्त संस्था को परिसमापन से मुक्त किये जाने के संबंध में अधिनियम के प्रावधानांतर्गत एवं विभागीय परिपत्रों, दिशा—निर्देशों के तहत नियमानुसार कार्यवाही जिलास्तर से की जावें।

संस्था की विशेष आमसभा दिनांक 7—1—2024 में संस्था के परिसमापन में आने के कारणों पर चर्चा, आगामी 3 वर्ष की कार्ययोजना तैयार कर संस्था को पुनर्जीवित करने की अनुशंसा सहित प्रस्ताव पत्र क्रमांक 93, दिनांक 10—1—2024 द्वारा इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया।

अतः बैंक के प्रस्ताव एवं आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था मर्या., लिम्बी की आमसभा में लिये गये निर्णय से सहमत होते हुए मैं, सुरेश सांवले, सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा 69 (4) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक—एफ—5—1—99—15—1—डी, दिनांक 26—7—1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिसमापनाधीन आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था मर्या., लिम्बी, विकासखण्ड व तहसील पाटी, जिला बड़वानी मध्यप्रदेश, जिसका पंजीयन क्रमांक /एन.एम.आर./ 288, खरगौन, दिनांक 28—12—1966 है, को परिसमापन से मुक्त कर पुनर्जीवित करता हूँ, साथ ही साथ ही संस्था के कारोबार के संचालन हेतु श्री महेन्द्र तड़वाल, उप अंकेश्वक, सहकारिता, जिला बड़वानी की एक सदस्यी प्रशासकीय कमेटी की नियुक्ती करता हूँ।

साथ ही निर्देशित किया जाता है, कि संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन निर्धारित समयावधि में करवाकर नव निर्वाचित कमेटी को कार्यभार सौंपा जावें।

आज दिनांक 18 अप्रैल, 2024 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(G-1115)

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा 69(4) के अन्तर्गत]

क्र.—परि.—2024—454.—आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था मर्या., उपला, विकासखण्ड व तहसील राजपुर, जिला बड़वानी मध्यप्रदेश, जिसका पंजीयन क्रमांक /एन.एम.आर./ 286, खरगौन, दिनांक 23—12—1992 है। संस्था द्वारा बैद्यनाथन कमेटी की अनुशंसाओं के अंतर्गत साख संरचना के पुनः पैकेज के तहत संस्था के आपात्र पाए जाने एवं राज्य शासन द्वारा नाबार्ड (केन्द्र सरकार) के साथ निष्पादित एम.ओ.यू. के प्रावधानानुसार अपात्र संस्था को बंद करने/अन्य समिति में संविलियन किये जाने के निर्देश दिये गये थे। इस संबंध में राज्य शासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप इस कार्यालय द्वारा जारी आदेशों का उल्लंघन किया जाकर संविलियन के विरोध में संस्था द्वारा निर्णय पारित किया गया। इस प्रकार नियमानुसार कार्यवाही नहीं करते हुए उपविधियों एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों का उल्लंघन करने से इस कार्यालय के आदेश क्रमांक—परिसमापन—2011—384, बड़वानी दिनांक 29—6—2011 के द्वारा म.प्र. सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री जीवनसिंह यादव, शाखा प्रबंधक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या., खरगोन, शाखा पलसूद, जिला बड़वानी को संस्था परिसमापक नियुक्त किया गया था।

संस्था परिसमापनांतर्गत होने के उपरांत भी कार्यक्षेत्र के सदस्यों को सेवाएं एवं शासन की योजनाओं का संचालन कर रही है। संस्था को पुनर्जीवित करने हेतु जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या., खरगोन एवं संस्था द्वारा लगातार पत्रों के माध्यम से मांग की जा रही थी। जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या., खरगोन द्वारा प्रशासकीय कमेटी की बैठक दिनांक 6—1—2021

में संकल्प क्रमांक 02 पारित कर आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था मर्या., लिम्बी एवं उपला को पुनर्जीवित करने हेतु निर्णय लिया गया है। उक्त के संबंध में बैंक द्वारा पत्र क्रमांक/कृषिसाख-2022-21-2766, खरगोन दिनांक 23-7-2021 से वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में संस्था द्वारा ऋण वितरण एवं वसूली तथा व्यवसाय की जानकारी देते हुए संस्था को परिसमापन से मुक्त करने की मांग की गई है।

संस्था को परिसमापन से मुक्त करने हेतु कार्यालयीन पत्र क्रमांक-परि./2022/999, बड़वानी, दिनांक 29-6-2022, 1728, दिनांक 20-12-2022 एवं पत्र क्रमांक 1132, दिनांक 14-11-2023 द्वारा संयुक्त आयुक्त, सहकारिता, इन्दौर संभाग इन्दौर के माध्यम से आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं (म.प्र.) भोपाल को प्रस्ताव प्रेषित किया गया था। बैंक द्वारा पत्र क्रमांक-104-कृषिसाख-2023-24-5111, खरगोन दिनांक 25-10-2023 को विगत पाँच वर्षों में संस्था द्वारा ऋण वितरण, मांग वसूली, सार्व. दुकानों के व्यवसाय एवं हानि की जानकारी संलग्न कर संस्था को परिसमापन से मुक्त करने की मांग की गई जिसके संबंध में कार्यालय संयुक्त आयुक्त, सहकारिता एवं संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, इन्दौर, संभाग इन्दौर द्वारा पत्र क्रमांक परिसमापन/2023/1133, इन्दौर, दिनांक 23-11-2023 कर निर्देशित किया गया कि संस्था बैद्यनाथन कमेटी की अनुशंसाओं के अंतर्गत निर्धारित मापदण्डों की पूर्ति नहीं करने से तथा संस्थाओं के अपात्र हो जाने से जिला कार्यालय बड़वानी द्वारा वर्ष 2011 में परिसमापन में लाया गया है। संस्था प्राथमिक स्तर की होकर जिला कार्यालय से परिसमापन में लाई जाने से तथा प्राथमिक स्तर की संस्था के संबंध में अधिनियम के प्रावधानांतर्गत प्राधिकार/शक्तियां सहायक आयुक्त सहकारिता, जिला बड़वानी में वैष्ठित होने से उक्त संस्था को परिसमापन से मुक्त किये जाने के संबंध में अधिनियम के प्रावधानांतर्गत एवं विभागीय परिपत्रों, दिशा-निर्देशों के तहत नियमानुसार कार्यवाही जिला स्तर से की जावें।

संस्था की विशेष आमसभा दिनांक 7-1-2024 में संस्था के परिसमापन में आने के कारणों पर चर्चा, अगामी 3 वर्ष की कार्ययोजना तैयार कर संस्था को पुनर्जीवित करने की अनुशंसा सहित प्रस्ताव पत्र दिनांक 10-1-2024 द्वारा इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया।

अतः बैंक के प्रस्ताव एवं आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था मर्या., उपला की आमसभा में लिये गये निर्णय से सहमत होते हुए मैं, सुरेश सावले, सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा 69 (4) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-15-1-डी, दिनांक 26-7-1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिसमापनाधीन आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था मर्या., उपला, विकासखण्ड व तहसील राजपुर, जिला बड़वानी (म.प्र.). जिसका पंजीयन क्रमांक-एन.एम.आर.-2865, खरगोन, दिनांक 23-12-1992 है, को परिसमापन से मुक्त कर पुनर्जीवित करता हूँ, संस्था के कारोबार के संचालन हेतु श्री जे. एस. चौहान, अंकेक्षण अधिकारी सहकारिता जिला बड़वानी की एक सदस्यी प्रशासकीय कमेटी की नियुक्ति करता हूँ।

साथ ही निर्देशित किया जाता है, कि संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन निर्धारित समयावधि में करवाकर नव निर्वाचित कमेटी को कार्यभार सौंपा जावें।

आज दिनांक 18 अप्रैल, 2024 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(G-1116)

सुरेश सावले, सहायक पंजीयक।

कार्यालय, परिसमापक सहकारी संस्था मर्या., जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश

शाजापुर, दिनांक 29 जनवरी 2024

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57(सी) के अन्तर्गत]

क्र.-परि.-2024-क्यु.-उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर द्वारा अपने अधोलिखित आदेश द्वारा निम्न संस्थाओं जिनके पंजीयन क्रमांक सम्मुख लिखे हैं, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) के

अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 71 (1) के तहत मुझ अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक / दिनांक (3)	परिसमापन आदेश क्रमांक / दिनांक (4)
(1)	(2)		
1.	दुर्घ उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., तलेनी	401 / 09-02-87	905 / 19-8-14
2.	दुर्घ उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कुमेर	520 / 26-10-89	913 / 19-8-14
3.	दुर्घ उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खामखेड़ा (सुन्दरसी)	265 / 30-12-83	918 / 19-8-14
4.	दुर्घ उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., दुबड़ी	758 / 22-05-01	673 / 24-4-18
5.	दुर्घ उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., घाटखेड़ी	1179 / 24-12-14	673 / 24-4-18
6.	दुर्घ उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पिपल्यानगर	950 / 24-12-14	673 / 24-4-18
7.	प्राथ. कर्म कल्याण साख सह. संस्था मर्या., शाजापुर	91 / 2-7-71	2070 / 26-6-03
8.	तिल. उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मंगलाज	290 / 3-9-84	1469 / 26-6-01
9.	अन्नपूर्णा बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खेरखेड़ी	1131 / 20-11-14	45 / 21-1-21
10.	तिरुपति बीज उत्पादक सह. संस्था मर्या., जाबड़िया घरवास	1142 / 6-12-14	673 / 24-4-18
11.	संत सिंगाजी बीज उपादक सह. संस्था मर्या., खेजड़िया	1222 / 24-09-15	52 / 21-1-21
12.	दुर्घ उपादक सहकारी संस्था मर्या., रसूलपुर	456 / 7-7-1990	3673 / 5-12-22
13.	महिला आजीविका बहुप्रयोजन सह. संस्था मर्या., हरियाणी	1288 / 30-6-18	1377 / 26-6-23
14.	महिला आजीविका बहुप्रयोजन सह. संस्था मर्या., निपानिया	1270 / 27-6-18	1380 / 26-6-23
15.	महिला आजीविका बहुप्रयोजन सह. संस्था मर्या., बाड़ीगाँव.	1309 / 5-7-18	1378 / 26-6-23
16.	महिला आजीविका बहुप्रयोजन सह-संस्था मर्या., किलोदा	1308 / 5-7-2018	1379 / 26-6-23
17.	सरदार पटेल बीज उत्पा. सह. संस्था मर्या., चौकी हिंदायतपुर	1143 / 6-12-2014	1713 / 14-8-23
18.	किसान बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खोखराकलौ	1123 / 12-11-2014	1639 / 14-8-23
19.	जय किसान बीज उत्पादक सहकारी सरथा मर्या., बुरलाय	1144 / 6-12-2014	1714 / 14-8-23
20.	बालाजी बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., चाकरोद	1218 / 17-8-2015	1715 / 14-8-23
21.	सरदार पटेल बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खरदौनकलौ.	1139 / 25-11-2014	1716 / 14-8-23
22.	दुर्घ उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मुडला भैना	1069 / 8-8-2012	1656 / 14-8-23
23.	दुर्घ उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., चायनी	110 / 22-6-1976	1661 / 14-8-23

(1)	(2)	(3)	(4)
24.	दुर्घ उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., हरूखेडी	659 / 22-9-1995	1660 / 14-8-23
25.	दुर्घ उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सलकनखेडी	1061 / 31-3-2012	1657 / 14-8-23
26.	दुर्घ उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रिछडी	1038 / 1-11-2010	1658 / 14-8-23
27.	दुर्घ उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बड़बैली	861 / 21-4-2003	1659 / 14-8-23

अतः मैं, अजय कुमार शर्मा, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता, जिला शाजापुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम 57(सी) के अन्तर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूं कि उक्त संस्था संस्थाओं के प्रति कोई दावे या आपत्ति या रिकार्ड हो तो वे इस सूचना पत्र जारी होने के दिनांक से दो माह के अन्दर मुझे कार्यालय उप आयुक्त, सहकारिता, किला परिसर, जिला शाजापुर में मय प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें, उक्त समयावधि पश्चात् दावे या आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा यह मानकर कि संस्था से किसी लेनदार का कोई दावा शेष नहीं है, संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा।

यह भी सूचित किया जाता है, कि उपरोक्त संस्थाओं के पूर्व कर्मचारियों/सदस्य/सक्षम पदाधिकारी के पास कोई रिकार्ड, परिसम्पत्ति या नगदी हो तो उसे उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करावे अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(G-1117)

अजय कुमार शर्मा, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक,

शाजापुर, दिनांक 25 जनवरी 2024

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57(सी) के अन्तर्गत]

क्र.—परि.—2024—क्यु.—उप आयुक्त, सहकारिता, जिला शाजापुर द्वारा अपने अधोलिखित आदेश द्वारा निम्न संस्थाओं जिनके पंजीयन क्रमांक समुख लिखे हैं, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 71(1) के तहत मुझ अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र. (1)	नाम संस्था (2)	पंजीयन क्रमांक/दिनांक (3)	परिसमापन आदेश क्रमांक/दिनांक (4)
1.	किसान बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रथभंवर	1121 / 10-11-24	53 / 21-1-21
2.	माँ कृपा बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मकोडी	1201 / 1-5-15	973 / 24-4-18
3.	महिला दुर्घ उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., डोगरगाँव	1206 / 11-6-15	47 / 21-1-2021
4.	दुर्घ उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मटेवा	1129 / 20-11-14	3658 / 5-12-2022
5.	प्राथमिक महिला आजी. बहुप्रयोजन सह. संस्था मर्या., सरसोदिया.	1266 / 27-6-18	1371 / 26-6-2023
6.	प्राथमिक महिला आजी. बहुप्रयोजन सह संस्था मर्या., भदोनी	1314 / 5-7-18	1370 / 26-6-2023
7.	प्राथमिक महिला आजी. बहुप्रयोजन सह संस्था मर्या., पिपलोदा	1304 / 30-6-18	1369 / 26-6-2023
8.	प्राथमिक महिला आजी. बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या., सास्ताखेडी.	1265 / 27-6-18	1372 / 26-6-2023

(1)	(2)	(3)	(4)
9.	महाराणा प्रताप सहकारी उपभोक्ता भंडार मर्या., अकोदिया	1000 / 4-9-09	1728 / 14-8-23
10.	नगर पालिका कर्मचारी साख सह संस्था मर्या., शुजालपुर	208 / 16-1-82	1727 / 14-8-23
11.	अंसार बुनकर शहरी साख सहकारी संस्था मर्या., जामनेर	143 / 18-1-80	1726 / 14-8-23
12.	दुर्घ उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., हापाखेडा	1135 / 25-11-14	1697 / 14-8-23
13.	दुर्घ उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सेमलीचाचा	398 / 29-3-83	1698 / 14-8-23
14.	दुर्घ उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., आक्याचौहानी	422 / 7-9-87	1699 / 14-8-23
15.	दुर्घ उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बाईहेडा	485 / 14-1-83	1700 / 14-8-23
16.	दुर्घ उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रामपुरा मेवासा	451 / 23-11-87	1701 / 14-8-23
17.	दुर्घ उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., उदली	1209 / 16-6-15	1696 / 14-8-23

अतः मैं, राजेश देवडा, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता, जिला शाजापुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम 57(सी) के अन्तर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उक्त संस्था संस्थाओं के प्रति कोई दावे या आपत्ति या रिकार्ड हो तो वे इस सूचना पत्र जारी होने के दिनांक से दो माह के अन्दर मुझे कार्यालय उप आयुक्त, सहकारिता, किला परिसर, जिला शाजापुर में मय प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें, उक्त समयावधि पश्चात् दावे या आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा यह मानकर कि संस्था से किसी लेनदार का कोई दावा शेष नहीं है, संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा।

यह भी सूचित किया जाता है, कि उपरोक्त संस्थाओं के पूर्व कर्मचारियों/सदस्य/सक्षम पदाधिकारी के पास कोई रिकार्ड, परिसम्पत्ति या नगदी हो तो उसे उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करावें अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(G-1118)

राजेश देवडा, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

इसे वेबसाइट www.govtprint.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 22]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 31 मई 2024—ज्येष्ठ 10, शक 1946

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

(कुछ नहीं)